BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 71/2026

<u>IN THE MATTER OF:</u>

GUNDUTT SHARMA …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS. …………RESPONDENT(s)

<u>INDEX</u>

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	BRIEF RESPONSE BY RESPONDENT NUMBER 6- DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 10.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 28.03.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 24.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	A COPY OF LETTER DATED 29.06.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 01.07.2026

Place: NOIDA

NOTARY REGISTER SL. No. 02 01/07/2026

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 71/2026

IN THE MATTER OF:

GUNDUTT SHARMA …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS. …………RESPONDENT(s)

BRIEF RESPONSE BY RESPONDENT NUMBER 6- DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 10.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, **VIJAY KUMAR SINGH**, aged about **55** years, S/o Shri **PARMANAND SINGH**, posted as District Magistrate, Meerut do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

2. That, I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the matter was last listed for hearing on 10.04.2026, wherein the Hon'ble Tribunal was pleased to implead the Deponent as Respondent No. 6 and directed to file response.

RESPONSE IS AS FOLLOWS

4. That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent, vide Letter No. **5523/NG8.03.2026 T-Panchayat/2026** dated **28.03.2026**, directed the **Chief Development Officer, Meerut** and the **Apar Mukhya Adhikari/Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Meerut** to ensure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal in their true letter and spirit, to furnish a timely response before the Hon'ble Tribunal, and to inform the Deponent regarding action taken in the matter.

   A copy of letter dated 28.03.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

5. That, further, vide Letter No. **95/G/OA-71/2026/MRT/2026** dated **24.04.2026**, the deponent directed the **Chief Development Officer, Meerut, Apar Mukhya Adhikari, Zila Panchayat, Meerut**, and the **Block Development Officer, Block Jani, Meerut**, to take necessary steps for treatment of the discharge from dairies and residential areas situated in Village Rasulpur Dhauldi, to ensure that such discharge does not flow into the agricultural fields, and to ensure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

   A copy of letter dated 24.04.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

6. That, the Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Meerut, vide Letter No. **1080/ZP-Meerut/2026-27** dated **29.06.2026**, informed that a **600 metre drain** from **Zaheer Haider's Bagh, Rasulpur Dhauldi, to Mataur–Jakheda** Road had previously been constructed by the Zila Panchayat, Meerut during the financial year **2021–22** for drainage of wastewater and an estimate amounting to Rs. **99.72** lakh has been prepared for construction of the remaining **1300 metre *pucca* stretch** of the drain, extending from the end point of the existing drain up to the pre-existing drain at Mataur Link Road. It was also informed that the proposal has been approved by the Zila Panchayat, Meerut, and an e-tender has been invited, which is scheduled to be opened on **09.07.2026**. Further, it has been informed that upon completion of the tender

NOTARY
UMESH KUMAR
Adv. Meerut
Notary Regn. No.
53583/2025
GOVT. OF INDIA

process, the construction work shall be completed within three months, thereby ensuring compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of letter dated 29.06.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-3.***

7. Hence, this brief response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.
8. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

NOTARY

Verified at **Meerut** on this 01 day of July 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 8 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Certified that Mr. District Magistrate Meerut Shri Vijay Kumar Singh
S/o Mr. Laxmanand
R/o District Magistrate Meerut
Identified by Mr. Self
Sworn the Contents of this affidavit before me on 01/07/2026 Fee Rs.15/- only per deponent

01/07/2026

UMESH KUMAR (Advocate)
NOTARY Meerut

6509
28/3/26

मा० NGT
पृ० 32 प

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांकः 5523 /एन0जी0टी0–पंचायत/2026 दिनांक–28 –03–2026

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
मेरठ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–71/2026 गुणदत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–71/2026 गुणदत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2026 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश दिनांक 6–2–2026 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

28/03/2026

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि–

1– मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभावी अनुश्रवण करते हुए मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का ससमय अनुपालन कराते हुए अनुपालन की सूचना मा0 न्यायालय को यथासमय प्रेषित करवाने का कष्ट करें।
2– उप निदेशक, पंचायत, मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– जिला पंचायतराज अधिकारी, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही /अनुपालन सुनिश्चित कराते हेतु प्रेषित।
5– खण्ड विकास अधिकारी, जानी खुर्द, मेरठ।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Engineer

ANNEXURE-2

286
25-4-26

मा0 NGT प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

पत्रांक– 95/G/O.A.71/2026/MRT/2026

दिनांक– 24.04.26

1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
3. खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक जानी जनपद मेरठ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 71/2026 Gundutt Sharma V/s State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक–10.04.2026 के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 71/2026 Gundutt Sharma V/s State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक–10.04.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, मेरठ, मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ एवं जिला पंचायत, मेरठ द्वारा इनके चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर्स को प्रतिवादी संख्या क्रमशः 06, 07 एवं 08 बनाया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जोतबुवाई की खेती स्थित ग्राम–रसूलपुर धोलड़ी ब्लाक जानी जिला मेरठ में ग्राम प्रधान रसूलपुर धोलड़ी ने ग्राम की 90 प्रतिशत निकासी का पानी एक अधूरा नाला बनवाकर खेतों की बीच में छोड़ने, पानी की निकासी खेतों के अलावा कहीं भी नहीं होने, ग्राम में लगभग 50 डेयरी चलने एवं गंदा व जहरीला पानी आसपास के खेतों में खड़े वृक्षों व पशुओं को नष्ट करने संबंधी आवेदक श्री गुणदत्त शर्मा पुत्र श्री श्याम सिंह शर्मा निवासी ग्राम डोलचा जनपद बागपत द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 71/2026 Gundutt Sharma V/s State of Uttar Pradesh and Ors. में दिनांक–06.02.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में ग्राम प्रधान रसूलपुर धोलड़ी को प्रतिवादी संख्या–04 बनाया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.04.2026 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 एवं 06 से 08 को सुनवाई की नियत तिथि 08.07.2026 से एक सप्ताह पूर्व रिस्पांस दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रसूलपुर धोलड़ी ब्लाक जानी जनपद मेरठ में स्थित डेयरी (पशुपालन चट्टे) एवं आबादी क्षेत्र से निकलने वाले अशोधित उत्प्रवाह के शोधन की व्यवस्था किये जाने तथा उत्प्रवाह कृषि क्षेत्र/जमीन पर भरे जाने से रोके जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या तत्काल प्रेषित किया जाये तथा मा0 अधिकरण में ससमय रिस्पांस दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

24/04

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ

प्रतिलिपि–
1. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), मेरठ को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित समयावधि में रिस्पांस दाखिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी, मेरठ

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

पत्रांकः– 1080 /जि0पं0मेरठ/2026–2027 **दिनांकः**–29, जून, 2026

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–71/2026 गुणवत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

....

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 95/G/O.A.71/2026/MRT/2026 दिनांक 24.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–71/2026 गुणवत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 जिसके माध्यम से जिलाधिकारी मेरठ, मख्य विकास अधिकारी मेरठ एवं जिला पंचायत मेरठ द्वारा इनके चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर को प्रतिवादी संख्या क्रमशः 06, 07 एवं 08 बनाया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.04.2026 में दिये गये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करवाये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त पत्र के साथ संलग्नक अभिलेखों के अनुसार विकास खण्ड जानी के रसूलपुर धौलड़ी में गन्दे पानी की निकासी के लिए मतौर मार्ग के बराबर में नाला बनवाते हुए पूर्व बने नाले में गन्दा पानी डाले जाने हेतु 1300मी0 का नाला बनवाये जाने की माँग की गयी है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि विकास खण्ड जानी के रसूलपुर धौलड़ी में गन्दे पानी की निकासी हेतु जिला पंचायत मेरठ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 600मी0 लम्बाई में (रसूलपुर धौलड़ी में जहीर हैदर के बाग से मतौर–जखेडा मार्ग तक नाला) निर्मित किया गया था, जिसमें अतिरिक्त 1300मी0 लम्बाई का नाला निर्माण हेतु क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अंकन 99.72 लाख रू0 का अनुमान तैयार किया गया है। ग्राम रसूलपुर धौलड़ी में मतौर सम्पर्क मार्ग से पूर्व निर्मित नाले तक नाला निर्माण कार्य (लम्बाई 1300मी0) अनुमानित लागत 99.72 लाख रू0 15वां वित्त आयोग से कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 की कार्ययोजना जो दिनांक 23.02.2026 जिला पंचायत बोर्ड बैठक में अनुमोदित कराकर मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, मेरठ की स्वीकृति दिनांक 28.03.2026 एवं 27 जून 2026 के क्रम में कार्यालय के पत्रांक 1076/जि0पं0मेरठ/2026–27 दिनांक 27.06.2026 (विज्ञापन की प्रति संलग्न) द्वारा ई–टेण्डर दिनांक 09 जुलाई 2026 को आमंत्रित की गयी है। टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण होते ही नियमानुसार 3 माह के अन्दर कार्य कराकर किसानों की समस्या का निस्तारण कर दिया जायेगा।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

29/06/2026

(वी0एस0 कुशवाहा)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

पृष्ठांकः– /जि0पं0मेरठ/2026–27 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः–मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ